

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या-77/2018-19

छोटानागपुर कास्टकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

महेश महतो बनाम जयन्ती देवी

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता -

महेश महतो, पिता-स्व० मंगल महतो ग्राम-महेशपुर
पो०-राहे, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-
कुरमी, पेशा-खेती।

क्रेता का नाम एवं पता -

जयन्ती देवी, पिता-श्री भोला महतो, ग्राम-कोटांगदाग
पो०-लोवाहातु, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, पेशा-
खेती।

विद्वान अधिवक्ता का नाम -

श्री परमेश्वर महतो।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-28/03/18 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत क्रेता जयन्ती देवी, पिता-श्री भोला महतो, ग्राम-कोटांगदाग, पो०-लोवाहातु, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-खेतीबारी, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री की अनुमति माँगी है:-

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
राहे	सोनाहातु	81	165	955	25 डी०

उक्त आवेदन के आलोक में अचल अधिकारी, राहे से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, राहे, का पत्रांक-405(ii) दिनांक-04/07/18 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-

- (1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत का नाम शेख रमजान वगैरह कोम शेख है।
- (2) आवेदक स्वयं पंजी-II के रैयत है।
- (3) पंजी-II के अनुसार रैयत का नाम जनक महतो, पिता-मिठन महतो, भोला महतो, पिता-रामेश्वर महतो वो महेश महतो, पिता-मंगल महतो। रकवा-1.00 एकड़ (एक एकड़) पंजी-II रैयत की खरीदगी भूमि है। रजिस्ट्री पट्टा की छायाप्रति संलग्न है।
- (4) आवेदक स्वयं पंजी-II के रैयत है। तथा जमाबंदी दाखिल खारिज केश नं०-554R27 वर्ष 84-85 के आधार पर कायम है।
- (5) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन दोन II किस्म की है।
- (6) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास इस खाते में रकवा-75 डी० भूमि शेष रह जाएगा।
- (7) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को मकान बनाने हेतु विक्रय करना चाहते हैं।
- (8) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही समुदाय कुरमी महतो है।
- (9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही पुलिस थाना के अन्तर्गत है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, राहे ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत विक्रेता महेश महतो, पिता-स्व० मंगल महतो, ग्राम-महेशपुर, पो०-राहे, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-खेती, को क्रेता जयन्ती देवी, पिता-श्री भोला महतो, ग्राम-कोटांगदाग, पो०-लोवाहातु, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुरमी पेशा-गृहणी, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक-25/06/2018 को आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

8

अतः अंचल अधिकारी, राहे के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता महेश महतो, पिता-स्व० मंगल महतो, ग्राम-महेशपुर, पो०-राहे, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-खेती, को क्रेता जयन्ती देवी, पिता-श्री भोला महतो, ग्राम-कोटांगदाग, पो०-लोवाहातु, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, जाति-कुरमी पेशा-गृहणी, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 धारा-46(i)b के तहत दी जाती है। तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
राहे	सोनाहातु/81	165	955	25 डी०

लेखापित एवं संशोधित।

|

31/08/18

भूमि सुधार उप समाहत्ता।

बुण्डू।

31/08/18

भूमि सुधार उप समाहत्ता।

बुण्डू।